आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
12/10/18	**आदेश** अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–13.07.18 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी अमर कुमार यादव, पिता–राजकिशोर यादव, साकिन–लीलावरण, पो0–औरिया, प्रखंड–बाराहाट, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य सं0–5231180102180001/2ए वर्ष–2018 अमर कुमार यादव बनाम् अंचल अधिकारी, बाराहाट है। परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी, बाराहाट के पत्रांक–634 दिनांक–14.09.18 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक–05.10.18 को परिवादी की सुनवाई की गयी। सुनवाई पश्चात् अंचल अधिकारी, बाराहाट को परिवादी के समक्ष स्थल की फोटोग्राफी कराकर उपस्थित होने का निदेश दिया गया। अनुपालन में अंचल अधिकारी, बाराहाट के पत्रांक–698 दिनांक–11.10.18 द्वारा प्रतिवेदन एवं स्थल की फोटोग्राफ जिसमें परिवादी भी उपस्थित है समर्पित किया गया है। प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–10.10.18 को ग्राम पंचायत–औरिया के मुखिया, संबंधित वार्ड सं0–10 के वार्ड सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आवेदक की उपस्थिति में अंचल अमीन के द्वारा प्रश्नगत मौजा–औरिया, थाना नं0–358, खेसरा सं0–2419 पर स्थित सरकारी रास्ता को नापी करायी गयी। साथ ही इसका सिमांकन कराकर वाद का निष्पादन कर दिया गया है। आज दिनांक–12.10.18 को परिवादी द्वारा आवेदन समर्पित कर कहा गया है कि अंचल अधिकारी, बाराहाट द्वारा मापी करायी गयी है एवं तद्आलोक में वाद निष्पादन करने का अनुरोध किया गया है। अतः परिवादी के वाद निष्पादन के अनुरोध के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित 12-X-18 जिला पदाधिकारी बांका 12-X-18 जिला पदाधिकारी –सह– द्वितीय अपीलीय प्राधिकार जिला लोक शिकायत निवारण, बांका	